

पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने की मांग

प्रलिस के लयः

नई पेंशन योजना, पूर्ववर्ती पेंशन योजना, PFRDA

मेन्स के लयः

सरकारी नीतयऱँ और हसुकषेप

चरुा में क्यऱँ?

कई राज्य पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने और [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली](#) (NPS) को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ।

- राजसुथान ने कहा है कवऱह अगले वतऱतीय वर्ष से राज्य में पूर्ववर्ती पेंशन योजना को वापस लाऱगा और साथ ही छतुतीसगदु भी इस नीतऱका पालन कर सकतऱ है ।
- केरल, आंध्र प्रदेश और असम की सरकारऱँ ने भी पूर्ववर्ती पेंशन योजना के संबध में सतऱतयऱँ का गठन कयऱा है ।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्यऱा है?

■ परचयः

- इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशसुतर बलऱँ को छोडुकर) की थी ।
 - वर्ष 2018 में इसको सुव्यवसुथतऱ करने तथऱ और अधकऱ आकऱरषक बनऱने के लयऱ केंद्रीय मंत्रमऱडल ने इसके अंतरगत आने वाले केंद्र सरकार के कऱमचारयऱँ को लाभ पहुँचऱने हेतु योजना में बदलाव को मंजूरी दी ।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को सरकार के लयऱ पेंशन देनदारयऱँ से छुटकारऱ पऱने के तरीके के रूप में लऱनूच कयऱा गयऱा थऱ ।
 - 2000 के दशक की शुरुआत में आयऱजतऱ एक अनुसंधऱन का हवऱला देते हुए एक सतऱचार रऱपऱरुट में बतऱयऱा गयऱा थऱ कऱभऱरत का पेंशन ःरण अतुयधकऱ बढुतऱ जऱ रहा थऱ ।
- NPS की शुरुआत पर केंद्रीय सवलऱ सेवा (पेंशन) नयऱम, 1972 में संशुधन कयऱा गयऱा थऱ ।
- NPS गऱाहकऱँ (सरकारी कऱमचारयऱँ) को यह तय करने की अनुतऱता देतऱा है कऱवऱे अपने पूरे कऱरयऱर में पेंशन खऱते में नयऱतऱ रूप से यऱगदान कर अपना पैसा कऱसऱ प्रकऱर नवऱश करनऱा चऱहते हैं ।
- सेवऱनवऱतुतऱ के बऱद वे पेंशन राशऱ का एक हसऱसुसा एकतुशुत नकऱल सकते हैं और बऱकी का उऱपयऱग नयऱतऱ आय हेतु 'वऱरुषकऱी' (Annuity) खरीदने के लयऱ कर सकते हैं ।

■ कारयऱऱनवयनः

- NPS को देश में PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी ँंड डेवलपमेंट अथऱरऱटी) दवऱऱा कारयऱऱनवतऱ एवं वनऱनयऱतऱ कयऱा जऱ रहा है ।
- PFRDA दवऱऱा सुथऱपतऱ 'नेशनल पेंशन ससऱसुतऱम टऱरसुट' (NPST) NPS के तहत सऱभी संपतुतऱयऱँ का पंजीकृत तऱलकऱ है ।

■ वऱशऱषतऱऱँ:

- NPS का 'ऱँल सऱटऱऱन तऱडल' तऱरत के सऱभी नऱगरकऱँ (NRIs सहतऱ) को 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच NPS में शऱतऱलऱ होने की अनुतऱता देतऱा है ।
- यह एक सहतऱगी यऱजनऱा है, जहऱँ कऱमचऱरी सरकार के सतऱन यऱगदान के साथ वेतन से अपने पेंशन कऱष में यऱगदान करते हैं । इसके बऱद नधऱयऱँ को पेंशन नधऱऱ प्रबंढकऱँ के तऱधयऱम से नऱरऱधऱरतऱ नवऱश यऱजनऱऱँ में नवऱश कयऱा जऱतऱा है ।
 - वर्ष 2019 में वतऱतऱ मंत्रऱलय ने कहा थऱ कऱकेंद्र सरकार के कऱमचारयऱँ के पास पेंशन फंड (PF) और नवऱश पैटऱरन का चयन करने का वकऱलऱप है ।
- सेवऱनवऱतुतऱ के सतऱम वे कुल राशऱ का 60% नकऱल सकते हैं, जो कर-तुक्त है और शेष 40% वऱरुषकऱी में नवऱश कयऱा जऱतऱा है, जसऱ पर कर लगतऱा है ।
- यहऱँ तक कऱनऱजऱी वयकतुतऱ भी इस यऱजनऱा का वकऱलऱप चुन सकते हैं ।

पूरववर्ती पेंशन योजना या परभाषति पेंशन लाभ योजना क्या है?

परचिय:

- यह योजना सेवानवृत्तके बाद आजीवन आय का आशवासन देती है।
- आमतौर पर सुनश्चिति राशा अंतमि आहरति वेतन के 50% के बराबर होती है।
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।

मुददे:

- अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुददा लंबी उमर यानी अधिक पेंशन भुगतान है।
 - उदाहरण के लिये 60 वर्ष की आयु में सेवानवृत्त होने वाले तथा लगभग 80 वर्ष या उससे अधिक की औसत आयु वाले कर्मचारियों को सेवानवृत्तके बाद दो दशकों से अधिक का भुगतान करना पड़ता है।
- इसके अलावा पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थितिमें पति या पत्नी OPS के तहत पेंशन के एक हस्से के हकदार हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन का भारी बोझ पड़ता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधति मुददे:

- पुरानी योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को पूरव नरिधारति फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतमि आहरति वेतन का आधा होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मिलता था। भुगतान नरिधारति था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भवषिय नधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।
- हालाँकि NPS में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% महंगाई भत्ते के साथ जमा करने की आवश्यकता होती है यह कोई जीपीएफ लाभ नहीं है और न ही इसमें पेंशन की राशातिय है। इस योजना के साथ प्रमुख मुददा यह है कि यह रटिरन-आधारति तथा बाज़ार से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों कह सकते हैं कि इसमें भुगतान अनश्चिति है।

पेंशन नधि विनियामक और विकास प्राधकिरण:

परचिय:

- यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के व्यवस्थति विनियमन, इसे बढ़ावा देने और सुनश्चिति करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापति वैधानिक प्राधकिरण है।
- यह वतित मंत्रालय के वतित्तीय सेवा वभाग (Department of Financial Service) के अंतर्गत कार्य करता है।

कार्य:

- यह वभिन्नि मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेज़र (Pension Fund Manager), सेंटरल रकिॉर्ड कीपिंग एजेंसी (Central Record Keeping Agency) आदि की न्युक्ति का कार्य करता है।
- यह NPS के तहत पेंशन उदयोग के विकास, इसे बढ़ावा देने और नरिंतरण का कार्य करता है तथा अटल पेंशन योजना का प्रबंधन भी करता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मलिति हो सकता है?

- (a) केवल नविसी भारतीय नागरकि।
- (b) केवल 21 से 55 वर्ष तक की आयु का व्यक्ती।
- (c) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधति राज्य सरकार द्वारा अधसूचना जारी किये जाने की तारीख के पश्चात् सेवा में आए हैं।
- (d) सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं।

उत्तर: (c)

स्रोत: द हट्टि